आदित्यनागीय चोरड़िया व सहगोत्र महासंघ
विधान का प्रारूप

०१. विधान का नाम : इस विधान का नाम 'आदित्यनागीय चोरड़िया व सहगोत्र महासंघ' होगा।

०२. कार्यालय : महासंघ का पंजीकृत केंद्रीय कार्यालय जैन हिल्स, जलगाँव, महाराष्ट्र (भारत) होगा।

०३. कार्यक्षेत्र : महासंघ का कार्यक्षेत्र संपूर्ण विश्व होगा।

०४. परिभाषाएँ:

इस विधान में उपयुक्त शब्दों के अर्थ निम्न प्रकार है।

अ) 'महासंघ' का अर्थ है 'आदित्यनागीय चोरड़िया व सहगोत्र महासंघ'।

आ) 'समाज' का अर्थ है 'आदित्यनागीय चोरड़िया व सहगोत्रों का समूह'।

इ) 'सदस्य' का अर्थ है महासंघ का सदस्य। सदस्य साधारण, विशिष्ट, संरक्षक, आजीवन, मानद या विदेशी वर्ग के हो सकते है। (कृ. ०७ अ देखें)

ई) 'शाखा' का अर्थ है प्रत्येक मंडल (जिला), प्रदेश (राज्य), क्षेत्र के समाज का संगठन।

उ) 'समुदाय' का अर्थ है सदस्यों का एकत्रित स्वरूप। यह आजीवन, संरक्षक, विशिष्ट एवं साधारण सदस्यों का अलग अलग रहेगा।

ऊ) 'सामान्य सभा' का अर्थ है समुदाय के सदस्यों की विचारविमर्श के लिए बुलाई गई सभा।

०५. महासंघ के उद्देश्य:

अ) समाज का शक्तिशाली संगठन बनाना।

आ) समाज में आपसी भ्रातृत्व भावनाओं का विकास व विस्तार करना।

इ) समाज का कोई भी बंधु आर्थिक अभाव के कारण संकट में हो तो उसे यथोचित सहायता मिल सकें ऐसी व्यवस्था निर्माण हेतु कार्य करना।

ई) समाज की रोजगार इच्छुक योग्यताप्राप्त व्यक्ति और उनकी योग्यतानुसार सेवा चाहनेवाली संस्था/ व्यक्ति में संपर्क कराने हेतु प्रयत्नशील रहना।

उ) समाज के इतिहास की और आगे खोज करना।

ऊ) समय समय पर समाज की 'निर्देशिका' का प्रकाशन करना।

क) समाज की 'महासंघ पत्रिका' का यथासंभव प्रकाशन करना।

ख) समाज के व्यक्तियों के लिए चिकित्सा संबंधी सहयोग करने हेतु संस्था का निर्माण करने का प्रयत्न करना।

ग) समाज की विशेष योग्यताप्राप्त जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रयास करना।

घ) समाज की विशेष योग्यता प्राप्त प्रतिष्ठित, उच्च विद्या विभूषित ऐसे व्यक्तियों को गौरवान्वित करना।

च) समाज मे शिक्षा के विस्तार हेतु प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन करना।

छ) विविध कलाएँ, खेलकूद, नृत्यसंगीत आदि में प्रवीणता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना।

ज) समाज के समाजसेवी और वयोवृद्ध व्यक्तियों का सम्मान करना।

झ) महासंघ की मंडल (जिला), प्रादेशिक (राज्य) एवं क्षेत्रीय शाखाएँ स्थापित करना।

ट) समाज में आपसी वादविवाद कोर्ट में नहीं जाए और अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आपस में निपटारा हो ऐसा प्रयास करना।

ठ) समाज के विकास, विस्तार, हित और समृद्धी हेतु आवश्यक सभी कार्य करना।

०६. महासंघ का संगठन:

अ) महासंघ के स्तर व कार्यालय

- महासंघ की देश विदेश में शाखाएँ प्रस्थापित होगी।
- केंद्रीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक, मंडलीय ऐसे चार स्तरोंपर महासंघ का कार्य होगा।
- उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय समाज को सुविधाजनक शहर में होंगे।
- प्रादेशिक (राज्यस्तरीय) कार्यालय राज्य की राजधानी में या राज्य के समाज को सुविधाजनक शहर में होंगे।
- मंडलीय (जिलास्तरीय) कार्यालय जिले के स्थान या जिले के समाज को सुविधाजनक शहर में होंगे।

आ) क्षेत्रीय शाखाओं मे संमीलित राज्य –

- उत्तर क्षेत्र – जम्मू-कश्मिर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरयाना, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश.
- पूर्व क्षेत्र – बिहार, झारखंड, बंगाल, ओरिसा, सिक्कीम, आसाम, अरुणाचल, नागालँड, मिझोरम, त्रिपुरा.
- दक्षिण क्षेत्र – आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पाँडिचरी.
- पश्चिम क्षेत्र – राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, गुजराथ, महाराष्ट्र, गोवा, दीव, दमण.

इ) कार्यप्रणाली एवं संयोजन

- प्रत्येक शाखा (मंडलीय, प्रादेशिक, क्षेत्रीय) का सदस्य महासंघ का सदस्य होगा। प्रत्येक विदेशी सदस्य भी महासंघ का सदस्य होगा।
- मंडलीय (जिला) शाखाएं अपना वार्षिक अहवाल प्रादेशिक (राज्य) शाखा में, प्रादेशिक शाखाएं अपना वार्षिक अहवाल क्षेत्रीय शाखाओं मे और क्षेत्रीय शाखाएं अपना वार्षिक अहवाल केंद्रीय कार्यालय में भेजेंगी।

ई) संमेलन

- महासंघ का केंद्रीय संमेलन ५ वर्षों में एक बार होगा।
- क्षेत्रीय संमेलन ढाई वर्षों में एक बार होगा।
- प्रादेशिक संमेलन प्रतिवर्ष होगा।
- मंडलीय संमेलन प्रतिवर्ष होगा।

०७. महासंघ की सदस्यता:

अ) साधारण सदस्य –

- 'समाज' की कोई भी व्यक्ति (पुरूष/महिला) आवेदन के साथ साधारण सदस्यता शुल्क की राशी रु. १०१ महासंघ के मंडलीय (जिला) कार्यालय में जमा कर महासंघ का साधारण सदस्य बन सकती है।
- आवेदक व्यक्ति की आयु २१ वर्ष पूर्ण या अधिक हो।
- आवेदक व्यक्ति पागल, विक्षिप्त घोषित नहीं हुई हो।
- आवेदक व्यक्ति दिवालिया नहीं घोषित हुई हो।
- आवेदक व्यक्ति किसी प्रकार अपराधी न रही हो।
- आवेदक व्यक्ति पर किसी प्रकार का आपराधिक न्यायिक मामला दर्ज न हो, या चला नहीं हो।
- विशिष्ट सदस्यता, संरक्षक सदस्यता, आजीवन सदस्यता एवं विदेशी सदस्यता प्राप्त करने के लिए साधारण सदस्य बनना अनिवार्य है।
- सभी साधारण सदस्य मिल कर महासंघ की 'साधारण सदस्य समुदाय' बनेगा।

आ) विशिष्ट सदस्य –

- 'समाज' की कोई भी व्यक्ति, जो महासंघ का साधारण सदस्य बनी है, आवेदन के साथ विशिष्ट सदस्यता शुल्क राशी रु. ११,००० एक मुश्त महासंघ के प्रादेशिक कार्यालय में जमा कर महासंघ का 'विशिष्ट सदस्य' बन सकती है।
- सभी विशिष्ट सदस्य मिल कर महासंघ की 'विशिष्ट सदस्य समुदाय' बनेगा।

इ) संरक्षक सदस्य –

- 'समाज' की कोई भी व्यक्ति, जो महासंघ का साधारण सदस्य बनी है, आवेदन के साथ संरक्षक सदस्यता शुल्क राशी रु. २५,००० एक मुश्त महासंघ के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कर महासंघ का 'संरक्षक सदस्य' बन सकती है।
- सभी संरक्षक सदस्य मिल कर महासंघ की 'संरक्षक सदस्य समुदाय' बनेगा।

ई) आजीवन सदस्य –

- 'समाज' की कोई भी व्यक्ति, जो महासंघ का साधारण सदस्य बनी है, आवेदन के साथ आजीवन सदस्यता शुल्क राशी रु. १ लाख एक मुश्त महासंघ के केंद्रीय कार्यालय में जमा कर महासंघ का 'आजीवन सदस्य' बन सकती है।
- सभी आजीवन सदस्य मिल कर महासंघ की 'आजीवन सदस्य समुदाय' बनेगा।

उ) मानद सदस्य –

- विविध शाखाओं द्वारा स्वीकृत समाज के ऐसे विशिष्ट व्यक्ति जो प्रभावशाली, प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता हो।

ऊ) विदेशी सदस्य –

- 'समाज की कोई व्यक्ति जो विदेश में रहती है, आवेदन के साथ विदेशी सदस्यता शुल्क रु. १,५०,००० (डॉलर मे) एक मुश्त महासंघ के केंद्रीय कार्यालय में जमा कर महासंघ का 'विदेशी सदस्य' बन सकती है।
- विदेशी सदस्य महासंघ के केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होंगे।

ए) सदस्यता संबंधी अन्य नियम –

- किसी भी सदस्यता वर्ग में सदस्य संख्या पर ऊपरी सीमा निर्धारण नहीं है।
- किसी भी वर्ग की सदस्यता हस्तांतरणीय या/और उत्तराधिकार से नहीं है।
- किसी भी वर्ग की सदस्यता शुल्क राशी केवल बढाई जा सकती है। (कृ. १० देखे)
- प्रारंभ में महासंघ के प्राथमिक ५ वर्ष के काल में सदस्यता के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात सदस्यता आमंत्रित की जा सकती है। (कृ. ७ अ देखे)

०८. महासंघ एवं शाखाओं का निधी कोष:

- विविध शाखाओं का निधी कोष जिन राशियों से बनेगा उसकी तालिका नीचे मुजब है।

शाखा	विविध सदस्यों की सदस्यता शुल्क राशी का प्रतिशत				
	साधारण सदस्य	विशिष्ट सदस्य	संरक्षक सदस्य	आजीवन सदस्य	विदेशी सदस्य
मंडलीय	९०	--	--	--	--
प्रादेशिक	--	९०	--	--	--
क्षेत्रीय	--	--	९०	--	--
महासंघ	१०	१०	१०	१००	१००

- कुल जमा राशी से मंडलीय/प्रादेशिक/क्षेत्रीय शाखाएँ १०% रक्कम महासंघ को भेजेगी।

- पूर्ण जमा राशी मंडलीय/प्रादेशिक/क्षेत्रीय शाखाएँ एवं महासंघ निश्चित अवधि योजना अंतर्गत खाते में जमा करेगी। यह निधी कोष खर्च नहीं किया जा सकेगा।
- निधी कोष पर उपलब्ध ब्याज खर्च किया जा सकता है।

०९. महासंघ की कार्यकारिणियाँ:

अ) केंद्रीय कार्यकारिणी:

- केंद्रिय कार्यकारिणी के निम्न प्रकार पदाधिकारी/सदस्य होंगे।
  राष्ट्रीय अध्यक्ष – १, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष – १, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष – ४,
  विदेश उपाध्यक्ष – १, राष्ट्रीय महामंत्री – १, राष्ट्रीय मंत्री – ४,
  राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष – १, राष्ट्रीय सहकोषाध्यक्ष – १, सदस्य – ११.
- महासंघ संस्थापक महासंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे।
- महासंघ की प्रथम केंद्रीय कार्यकारिणी महासंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनित करेंगे।
- केंद्रीय कार्यकारिणी का कार्यकाल ५ वर्ष होगा।
- केवल आजीवन सदस्य समुदाय के उपस्थित मतदाता सदस्य ही सर्व सम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनित कर सकेंगे। (कृ. १० अ देखें)
- आजीवन सदस्य समुदाय के सदस्यों में सर्वसंम्मति न होने पर पदासीन अध्यक्ष पदभार सँभालेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनित करने के लिए सर्वसम्मति अनिवार्य है।
- मनोनित राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों का स्वयं चयन कर के नामांकन करेंगे।

आ) क्षेत्रीय कार्यकारिणी –

- क्षेत्रीय कार्यकारिणी के निम्न प्रकार पदाधिकारी/सदस्य होंगे।
  क्षेत्रीय अध्यक्ष – १, क्षेत्रीय कार्याध्यक्ष – १, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष – ५,
  क्षेत्रीय महामंत्री – १, क्षेत्रीय मंत्री – ४, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष – १,
  क्षेत्रीय सहकोषाध्यक्ष – १, सदस्य – ११.
- महासंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रथम क्षेत्रीय अध्यक्ष मनोनित करेंगे।
- क्षेत्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष की सलाह से क्षेत्रीय कार्यकारिणी मनोनित करेंगे।
- क्षेत्रीय कार्यकारिणी का कार्यकाल ५ वर्ष होगा।
- केवल संरक्षक सदस्य समुदाय के उपस्थित मतदाता सदस्य ही सर्वसम्मति से क्षेत्रीय अध्यक्ष मनोनित कर सकते हैं। (कृ. १० इ देखें)
- सर्वसम्मति न होनेपर पदासीन अध्यक्ष पदभार सँभालते रहेंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष मनोनित करने के लिए सर्वसम्मति अनिवार्य है।

इ) प्रादेशिक कार्यकारिणी –

- प्रादेशिक कार्यकारिणी के निम्न प्रकार पदाधिकारी/सदस्य होंगे।
  प्रादेशिक अध्यक्ष – १, प्रादेशिक कार्याध्यक्ष – १, प्रादेशिक उपाध्यक्ष – २,
  प्रादेशिक महामंत्री – १, प्रादेशिक मंत्री – १, प्रादेशिक कोषाध्यक्ष –१,
  प्रादेशिक सहकोषाध्यक्ष – १, सदस्य – ११.
- प्रथम क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष की सलाह से प्रथम प्रादेशिक अध्यक्ष मनोनित करेंगे।
- प्रादेशिक अध्यक्ष क्षेत्रीय अध्यक्ष की सलाह से प्रादेशिक कार्यकारिणी मनोनित करेंगे।
- प्रादेशिक कार्यकारिणी का कार्यकाल ५ वर्ष होगा।
- केवल विशिष्ट सदस्य समुदाय के उपस्थित मतदाता सदस्य ही सर्व सम्मति से प्रादेशिक अध्यक्ष को मनोनित कर सकते है। (कृ. १० उ देखें)
- सर्व सम्मति न होनेपर पदासीन अध्यक्ष पदभार सँभालते रहेंगे। प्रादेशिक अध्यक्ष मनोनित करने के लिए सर्वसम्मति अनिवार्य है।

ई) मंडलीय कार्यकारिणी –

- मंडलीय कार्यकारिणी के निम्न प्रकार पदाधिकारी/सदस्य होंगे।
  मंडल अध्यक्ष – १, मंडल उपाध्यक्ष – १, मंडल मंत्री – १,
  मंडल कोषाध्यक्ष – १, मंडल सदस्य – ११.
- प्रथम प्रादेशिक अध्यक्ष प्रथम क्षेत्रीय अध्यक्ष की सलाह से प्रथम मंडलीय अध्यक्ष मनोनित करेंगे।
- मंडलीय अध्यक्ष प्रादेशिक अध्यक्ष की सलाह से मंडलीय कार्यकारिणी मनोनित करेंगे।
- मंडल कार्यकारिणी का कार्यकाल ५ वर्ष होगा।
- केवल साधारण सभा समुदाय के उपस्थित मतदाता सदस्य ही सर्व सम्मति से मंडल अध्यक्ष मनोनित कर सकते है।
- सर्वसम्मति न होनेपर पदासीन अध्यक्ष पदभार सँभालते रहेंगे। मंडल अध्यक्ष मनोनित करने के लिए सर्वसम्मति अनिवार्य है।

उ) कार्यकारिणी की सभा –

- कार्यकारिणी की सभा वर्ष में कम से कम चार बार होगी।
- सभा के लिए कार्यकारिणी के एकतिहाई या अधिक सदस्यों की उपस्थिती आवश्यक है। आवश्यक गणसंख्या(कोरम) न होनेपर एक घंटे तक स्थगित कर सभा ली जाएगी।
- कोई सदस्य लगातार तीन सभाओं में अनुपस्थित होंगे तो उनका स्थान रिक्त माना जाएगा और अध्यक्ष उस स्थानपर अन्य व्यक्ति को मनोनित कर सकेंगे।
- विशिष्ट प्रसंग के कारण आवश्यक कार्य हेतु आपात्कालिन सभा बुलाई जा सकती है।

१०. समुदाय एवं सदस्यों के अधिकार:

अ) आजीवन सदस्य समुदाय – (राष्ट्रीय स्तर)

- आजीवन सदस्य समुदाय सभी आजीवन सदस्यों का एकत्रित स्वरूप है।
- आजीवन सदस्य अपने कुछ अधिकारों का प्रयोग केवल आजीवन सदस्य समुदाय के माध्यम से ही कर सकते हैं।
- केवल आजीवन सदस्य समुदाय उपस्थित मतदाता सदस्यों की सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनित कर सकेगा।
- आजीवन सदस्य समुदाय उपस्थित मतदाता सदस्यों की सर्वसम्मति से समाज के चारित्र्यवान प्रतिष्ठित प्रभावी सामाजिक कार्याकर्ता को 'मानद आजीवन सदस्य' मनोनित कर सकता है। मानद आजीवन सदस्य के आजीवन सदस्यता शुल्क शून्य अथवा नाममात्र होगा।
- आजीवन सदस्य समुदाय उपस्थित मतदाता सदस्यों की सर्वसम्मति से 'आजीवन सदस्यता शुल्क' बढा सकता है, घटा नहीं सकता।

आ) आजीवन सदस्य –

- केवल आजीवन सदस्य ही महासंघ की कार्यकारिणी के पदाधिकारी/सदस्य मनोनित हो सकते है।
- आजीवन सदस्य क्षेत्रीय, प्रादेशिक, मंडलीय शाखाओं की कार्यकारिणी में भी पद प्राप्त करने के लिए पात्र रहेंगे।
- आजीवन सदस्य अपने अपने क्षेत्र/प्रदेश की शाखाओं की सभाओं के भी सदस्य होंगे।

इ) संरक्षक सदस्य समुदाय – (क्षेत्रीय स्तर)

- संरक्षक सदस्य समुदाय सभी संरक्षक सदस्यों का एकत्रित स्वरूप है। इस में क्षेत्रीय आजीवन सदस्य भी संमीलित रहेंगे।
- संरक्षक सदस्य अपने कुछ अधिकारों का प्रयोग केवल संरक्षक सदस्य समुदाय के माध्यम से ही कर सकते हैं।
- केवल संरक्षक सदस्य समुदाय उपस्थित मतदाता सदस्यों की सर्वसम्मति से क्षेत्रीय अध्यक्ष मनोनित कर सकेगा।
- संरक्षक सदस्य समुदाय उपस्थित मतदाता सदस्यों की सर्वसम्मति से समाज के चारित्र्यवान प्रतिष्ठित प्रभावी सामाजिक कार्यकर्ता को 'मानद संरक्षक सदस्य' मनोनित कर सकती है। मानद संरक्षक सदस्य के लिए मानद संरक्षक सदस्यता शुल्क शून्य अथवा नाममात्र होगा।
- संरक्षक सदस्य समुदाय उपस्थित मतदाता सदस्यों की सर्वसम्मति 'संरक्षक सदस्यता शुल्क' बढ़ा सकता है, घटा नहीं सकता।

ई) संरक्षक सदस्य –

- केवल आजीवन एवं संरक्षक सदस्य ही क्षेत्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी/सदस्य मनोनित हो सकते है।
- संरक्षक सदस्य प्रादेशिक, मंडलीय शाखाओं की कार्यकारिणी में भी पद प्राप्त करने के लिए पात्र रहेंगे।
- संरक्षक सदस्य अपनी अपनी प्रदेश की शाखाओं की सभाओं के भी सदस्य होंगे।

उ) विशिष्ट सदस्य समुदाय – (प्रादेशिक स्तर)

- विशिष्ट सदस्य समुदाय सभी विशिष्ट सदस्यों का एकत्रित स्वरूप है। इस में प्रादेशिक आजीवन सदस्य, प्रादेशिक संरक्षक सदस्य भी सम्मीलित रहेंगे।
- विशिष्ट सदस्य अपने कुछ अधिकारों का प्रयोग विशिष्ट सदस्य समुदाय के माध्यम से ही कर सकते हैं।
- केवल विशिष्ट सदस्य समुदाय उपस्थित मतदाता सदस्यों की सर्व सम्मति से प्रादेशिक अध्यक्ष मनोनित कर सकता है।
- विशिष्ट सदस्य समुदाय उपस्थित मतदाता सदस्यों की सर्वसम्मति से समाज के चारित्र्यवान, प्रतिष्ठित, प्रभावी सामाजिक कार्यकर्ता को मानद विशिष्ट सदस्य मनोनित कर सकता है। मानद विशिष्ट सदस्य के लिए विशिष्ट सदस्यता शुल्क शून्य अथवा नाममात्र होगा।
- विशिष्ट सदस्य समुदाय उपस्थित मतदाता सदस्यों की सर्वसम्मति से 'विशिष्ट सदस्यता शुल्क' बढा सकता है, घटा नहीं सकता।

ऊ) विशिष्ट सदस्य –

- केवल संरक्षक सदस्य एवं विशिष्ट सदस्य ही प्रादेशिक कार्यकारिणी के पदाधिकारी/सदस्य मनोनित किए जा सकते हैं।
- विशिष्ट सदस्य मंडलीय शाखाओं की कार्यकारिणी में पद प्राप्त करने के लिए पात्र रहेंगे।

ए) साधारण सदस्य समुदाय (मंडलीय स्तर) –

- साधारण सदस्य समुदाय सभी साधारण सदस्यों का एकत्रित स्वरूप है। इस में मंडलीय आजीवन सदस्य, मंडलीय संरक्षक सदस्य, मंडलीय विशिष्ट सदस्य भी सम्मीलित होंगे।
- साधारण सदस्य अपने कुछ अधिकारों का प्रयोग साधारण सदस्य समुदाय के माध्यम से ही कर सकते है।
- केवल साधारण सदस्य समुदाय उपस्थित मतदाता सदस्यों की सर्वसम्मति से मंडलीय अध्यक्ष मनोनित कर सकता है।

- साधारण सदस्य समुदाय उपस्थित मतदाता सदस्यों की सर्वसम्मति से समाज के चारित्र्यवान, प्रतिष्ठित, प्रभावी सामाजिक कार्यकर्ता को 'मानद साधारण सदस्य' मनोनित कर सकती है। मानद साधारण सदस्य के लिए साधारण सदस्यता शुल्क शून्य या नाममात्र रहेगा।
- साधारण सदस्य समुदाय उपस्थित मतदाता सदस्यों की सर्वसम्मति से साधारण सदस्यता शुल्क बढ़ा सकता है, घटा नहीं सकता।

ऐ) साधारण सदस्य –
- केवल विशिष्ट सदस्य ही मंडलीय कार्यकारिणी में पदाधिकारी/सदस्य मनोनित किए जा सकते है।
- साधारण सदस्य महासंघ के उद्दिष्टों से लाभ उठा सकेंगे।

ओ) अन्य नियम –
- कोई भी सदस्य एक समय एक ही पद स्वीकार कर सकता है।
- अन्य पद के लिए मनोनित होने के लिए, पहले पद से इस्तीफा देना अनिवार्य होगा।
- विविध मानद सदस्यों को विविध स्तरों के पदों पर मनोनित होने के लिए पात्र समझा जाएगा।
- विदेशी सदस्यों को विदेश में शाखा संस्थापना का कार्य करना होगा।
- विदेशी सदस्यों को विदेश में कार्यकारिणी का गठन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सलाह से करना होगा।
- विदेशी सदस्य विशिष्ट अतिथी के रूप में महासंघ की महासभा में आमंत्रित किए जाएंगे।

११. पदाधिकारियों के अधिकार/कर्तव्य: (केंद्रीय/क्षेत्रीय/प्रादेशिक/मंडलीय स्तरों पर)

अ) अध्यक्ष –
- अध्यक्ष कार्यकारिणी की सभा की अध्यक्षता करेंगे।
- अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी का स्वयं गठन करेंगे (कृ. ९ देखें)। कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सदस्यों को मनोनित करके कार्यकारिणी गठीत होगी।
- आवश्यकतानुसार कार्यविभाजन कर अध्यक्ष अन्य पदाधिकारियों को विधान के अनुसार कार्य सोपेंगे और समुदाय की सलाह अनुसार अधिकार तय करेंगे।
- सदस्यता के आवेदन पत्रों का चयन कर के तथ्यों का प्रमाणीकरण अध्यक्ष करेंगे। इस कार्य में अध्यक्ष अन्य पदाधिकारियों की सलाह ले सकते है।
- पात्र आवेदकों की सिफारीश अध्यक्ष करेंगे। (समाज के व्यक्तियों का सदस्यता के लिए नामांकन, पंजयन, आवेदन के तथ्यों का प्रमाणीकरण एवं सिफारीश के आधार पर होगा।)
- महासंघ की विविध कार्यकारिणियों का प्रत्येक कार्य अध्यक्ष के नाम से होगा।
- वार्षिक रिपोर्ट मंडल अध्यक्ष प्रादेशिक अध्यक्ष को, प्रादेशिक अध्यक्ष क्षेत्रीय अध्यक्ष को और क्षेत्रीय अध्यक्ष केंद्रीय अध्यक्ष को भेजेंगे।

आ) कार्याध्यक्ष –
- अध्यक्ष के कार्यों में अध्यक्ष के मार्गदर्शनानुसार सहायता तथा कार्यवाही करेंगे।
- अध्यक्ष की अनुपस्थिती में अध्यक्ष के अधिकारों का उपयोग करेंगे और कर्तव्यों को निभाएंगे।

इ) उपाध्यक्ष –
- शाखाओं के संगठन एवं निरीक्षण का कार्य करेंगे। शाखाओं के संचालन कार्य में सहायता करेंगे।
- शाखाओं की रिपोर्ट अध्यक्ष को भेजेंगे। मंडलीय शाखा की रिपोर्ट अर्धवार्षिक रहेगी। प्रादेशिक शाखाओं की रिपोर्ट वार्षिक रहेगी। क्षेत्रीय शाखाओं की रिपोर्ट वार्षिक रहेगी।
- अध्यक्ष एवं कार्याध्यक्ष की अनुपस्थिती में अध्यक्ष/कार्याध्यक्ष के अधिकारों का उपयोग करेंगे एवं कर्तव्यों को निभाएंगे।

ई) महामंत्री –
- सभा की विषय सूचि बनाने में कार्याध्यक्ष की सहायता करेंगे एवं विषय सूचि संबंधित व्यक्तियों को भेजेंगे।
- अध्यक्ष की सलाह अनुसार कार्यकारिणी की सभाओं का आयोजन करेंगे। सभा का संचालन करने में अध्यक्ष/कार्याध्यक्ष की सहायता करेंगे।
- सभाओं के चर्चाओं एवं निर्णयों/प्रस्तावों का ब्यौरों का रेकॉर्ड रखेंगे।
- कार्यालय की देखभाल, कार्यालय का व्यवस्थापन करेंगे।
- कोषाध्यक्ष द्वारा बनाए गए अर्थसंकल्प (बजट) एवं लेखापरीक्षण अहवाल का अभ्यास कर के मंजूर कराएंगे।
- भुगतान रसीदे (बिल, वाऊच्चर) आदि का निरिक्षण कर हस्ताक्षर करेंगे।
- शाखा की स्थापना कराना, उन्हें मान्यता देना और निर्देश पहुँचाना आदि कार्य करेंगे।
- सुचारू रूपसे शाखा के कार्य संचालन के लिए अधिकारीत (कृ. ११ अ देखे) रकम तक खर्च करेंगे। यह खर्च अध्यक्ष/कार्याध्यक्ष की जानकारी में लाएंगे और अगली सभा में पारित कराएंगे।

उ) मंत्री –
- महामंत्री की अनुपस्थिती में महामंत्री के अधिकारों का उपयोग करेंगे एवं कर्तव्यों को निभाएंगे।
- महामंत्री द्वारा सोंपे गए कार्य करेंगे।
- शाखाओं का नियंत्रण एवं संचालन करने में उपाध्यक्ष की सहायता करेंगे।

- कार्यक्षेत्र का त्रैमासिक अहवाल उपाध्यक्ष को भेजेंगे।

ऊ) कोषाध्यक्ष –

- अर्थसंकल्प तैयार करेंगे एवं पारित हुए अर्थसंकल्प को कार्यान्वित करेंगे।
- संपूर्ण हिसाब का लेखा–जोखा रखेंगे, संभालेंगे। सभा अथवा उच्च पदाधिकारियों की माँगपर आवश्यकतानुसार लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे।
- हिसाब लेखा–जोखा का लेखा परीक्षण कराएंगे।
- सभी भुगतान रसीदों (बिल, वाऊचर) को महामंत्री से पारित कराएंगे।
- मासिक अहवाल बना कर महामंत्री को प्रस्तुत करेंगे।
- बिना हस्ताक्षरीत रसीद के कोई भी राशी प्राप्त नहीं करेंगे।
- सुचारू रूपसे शाखा के कार्य संचालन के लिए अधिकारीत (कृ. ११ अ देखे) रकम तक खर्च करेंगे। जो व्यय किया हो उसे अगली बैठक में पारित कराएंगे।
- वार्षिक लेखा परीक्षण अहवाल अध्यक्ष की निर्देशानुसार व्यक्ति/संस्थाओं को भेजेंगे।
- अध्यक्ष एवं महामंत्री के संयुक्त हस्ताक्षर से राष्ट्रीयकृत बँक में खाता खोलेंगे।

ए) सहकोषाध्यक्ष –

- कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिती में कोषाध्यक्ष के अधिकारों का उपयोग करेंगे एवं कर्तव्यों को निभाएंगे।
- शाखा का कार्य सुचारू रूपसे चलने में सहायता करेंगे।

१२. सामान्य सभा:

- सामान्य सभा वर्ष में एक बार कार्यालय स्थान पर या समाज के सुविधाजनक स्थान पर आयोजित की जाएगी।
- सामान्य सभा की सूचना सभी संबंधित सदस्यों को एक माह पूर्व दी जाएगी।
- अध्यक्ष इस सभा की अध्यक्षता करेंगे।
- किसी ठोस कारण से आपात्कालिन सभा समाज के १०० सदस्य अध्यक्ष या महामंत्री को निवेदन देकर बुला सकते है।
- सामान्य सभा की कार्यवाही के लिए कम से कम १०० सदस्यों की उपस्थिती वांछित है। गणसंख्या पुरी न होनेपर एक घंटे के स्थगन पश्चात सभा आयोजित की जाएगी।
- आवश्यकतानुसार अध्यक्ष की अनुमति से संशोधन प्रस्ताव विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत किए जा सकेंगे। प्रस्ताव पारित होने के लिए उपस्थित मतदाताओं के दो तिहाई बहुमत अनिवार्य है।
- केवल सामान्य सभा के ९० प्रतिशत या अधिक सदस्यों की सहमती से संगठन का किसी अन्य संस्था में एकत्रीकरण/विलिनीकरण हो सकेगा।
- केवल सामान्य सभा के ९० प्रतिशत या अधिक सदस्यों की सहमती से संगठन का विघटन किया जा सकेगा।

१३. अन्य धाराएँ:

- प्रत्येक शाखा को इस विधान का पालन करना होगा।
- प्रत्येक शाखा अपने क्षेत्र के समाज के समस्त परिवारों की जानकारी रखेगी और इसे प्रतिवर्ष अद्यतन करेगी।

१४. व्यक्तिगत प्रयास:

- समाज का प्रत्येक सदस्य महासंघ के लिए उपयुक्त जानकारी महासंघ को लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा।
- प्रत्येक सदस्य अधिक से अधिक परिवार महासंघ के सदस्य बनाने के लिए प्रेरणा देगा।
- समाज के व्यावसायिक सदस्य, जैसे डॉक्टर, इंजिनियर, वकील आदि महासंघ के सदस्यों को नि:शुल्क सेवा देने के लिए स्वयंनिर्णय लेंगे।